

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.11(76)एफडी/ईएक्स/2003, दिनांक 3 फरवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

I- श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2006-07 के 157वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का बारहवां प्रतिवेदन ;
2. जनलेखा समिति, 2007-08 के 201वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का तेरहवां प्रतिवेदन ;
3. जनलेखा समिति, 2007-08 के 208वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का चौदहवां प्रतिवेदन ;
4. जनलेखा समिति, 2007-08 के 240वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ;
5. जनलेखा समिति, 2006-07 के 145वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का सोलहवां प्रतिवेदन ;

6. जनलेखा समिति, 2006-07 के 147वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का सत्रहवां प्रतिवेदन ;
7. जनलेखा समिति, 2007-08 के 221वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का अठारहवां प्रतिवेदन ;
8. जनलेखा समिति, 2007-08 के 248वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का उन्नीसवां प्रतिवेदन ;
9. जनलेखा समिति, 2007-08 के 214वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का बीसवां प्रतिवेदन ;
10. जनलेखा समिति, 2007-08 के 259वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का इक्कीसवां प्रतिवेदन ;
11. जनलेखा समिति, 2007-08 के 209वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का बाईसवां प्रतिवेदन ;
12. जनलेखा समिति, 2004-05 के 33वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का तेईसवां प्रतिवेदन ;
13. जनलेखा समिति, 2004-05 के 32वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का चौबीसवां प्रतिवेदन ;
14. जनलेखा समिति, 2005-06 के 116वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का पच्चीसवां प्रतिवेदन ; एवं
15. जनलेखा समिति, 2004-05 के 99वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों (जिनका संबंध राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवाया जाकर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयत नीति के क्रियान्वयन से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का छब्बीसवां प्रतिवेदन ।

II- श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य विधान सभा किशनगढ़ (अजमेर) के मदनगंज थाने के अधीन गांधीनगर चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

II- श्री महेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा नोखा मण्डी (बीकानेर) शहर में नवली गेट रेलवे फाटक पर ओवर/अन्डर ब्रिज बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं

राज्य सरकार की ओर से उत्तर

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 फरवरी, 2010